संख्या- 4/198/बयालिस-2015-68(बजट)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 03 मार्च, 2015**

विषय- जनपद सीतापुर के महमूदाबाद के स्पोर्टस स्टेडियम में लर्निंगपूल के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 1085/2014-15, दिनांक 19.01.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सीतापुर के महमूदाबाद के स्पोर्टस स्टेडियम में लर्निंगपूल के निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 62.56 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वर्ष- 2014-15 में अनुपूरक मांग के माध्यम से उक्त कार्य हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 65.00 लाख से से रू0 62.56 लाख (रू0 बासठ लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 62.56 लाख (रू0 बासठ लाख छप्पन हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2014-15 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों मदों में किया जायेगा। जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्हीं अन्य कार्यों मदों में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(4)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एंव बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(6)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(7)- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8)- प्रस्तावित मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-59- महमूदाबाद सीतापुर के स्पोर्टस स्टेडियम में लर्निंगपूल का निर्माण-24- वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रह हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 198(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, सीतापुर।
(5)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी लखनऊ/क्रीड़ाधिकारी, सीतापुर।
(6)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(7)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(8)- नियोजन अनुभाग- 4
(9)- निजी सचिव, मीडिया सलाहकार मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in